



आवेदन की तिथि-26-5-15  
अधिसूचना तिथि-27-5-15  
निर्गत तिथि-18-5-15

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या 418 (I) / 2015-16

## आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
13/5/15	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती 21/3/15...            पिता/पति... साकिम...            थाना... जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है।            आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा... प्लॉट नं०...            मौजा नं०... खाता नं०... रकवा...            दलील सं०... दिनांक... से            द्वारा श्री/श्रीमती... प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक... को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>
27/5/15	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भूमि रैयती खाते की है।</li> <li>जमाबंदी सं०... में विक्रेता के विक्रेता के नाम लगान से रसीद कट रहा है।</li> <li>आवेदक निर्बंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।</li> <li>निबंधन धनबाद/ कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुदांक की रसिद के कोषागार में जमा कर दलील को वैध कर दिया गया है।</li> <li>प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।</li> </ol> <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>

मेरे द्वारा फोटोकापी किया गया!

9/28/15

अंचल अधिकारी धनबाद

आदेश अर्थात्... 28/5/15





आपदन की तिथि- 26/5/15  
 अधिसूचना तिथि- 27/5/15  
 निर्गत तिथि- 28/5/15

**में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयत) का नामान्तरण (दाखिल-खातिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र**

गाँव- धनबाद, अनुमण्डल - धनबाद अंचल - धनबाद, हल्का सं०- (1) स्टेट का नाम- झारखण्ड

1	क्रम संख्या								
2	पंजी संख्या 27 में नामान्तरण कैसे संख्या	दा० खा० 418 (1) 15-16							
3	गाँव	पाण्डरपाला							
4	धाना और धाना संख्या	धनबाद 64							
5	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	खाता- 11 प्लॉट- 465 रकबा- 3.82 कठ या 6.30 बी. लगान- 4.00 रु. अ. शेष							
6	नामान्तरण मंत्रु कारवाला प्राधिकार और प्रदेश की तारीख	अंचल अधिकारी धनबाद							
7	नामान्तरण किस कारण से होता है विक्री, दान विनियम, उत्तराधिकार या बदला हुआ है ?	विक्री/उत्तराधिकारी दलील संख्या 1663 : 1450 23/3/12 1 मंडाल							
8	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	पुराना जमा०- 1124 पुराना रैयत- राम कृष्ण शर्मा अथवा मोहन शर्मा सुदर्शन शर्मा नया रैयत- श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह श्री - स्व. काली प्रसाद सिंह श्री - राज गण्डु खरिया, चन्दा							
9	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	जमा सं० _____ में दर्ज किया							
10	अभ्युक्ति								

ज्ञापक संख्या 361 ता० 27/5/15 2015  
 कर्मचारी हल्का सं० (1) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अंचल अधिकारी धनबाद

मेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया!  
 27/5/15  
 प्रतिलिपिक

आगत  
 27/5/15  
 प्रमाण सहायक  
 मुख्य क्लर्क  
 धनबाद